25

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे

निगरानी प्र0 क0 3469–दो/2012 विरूध्द आदेश दिनांक 25–09–2012 पारित तहसीलदार, सागर प्रकरण कमांक 2833/बी–121/11–12.

1– मिश्रीचन्द गुप्ता तनय स्व. जयराम गुप्ता
2– धमेन्द्र गुप्ता तनय स्व. जयराम गुप्ता
दोनों नि0 गाम शंकरगढ़, तह0 व जिला सागर, म0प्र0
3– रमेशचन्द जैन तनय स्व. गुलाब चन्द जैन
नि0 221, केशवगंज वार्ड, सागर
4– सुधीरकुमार जैन तनय सुन्दरलाल जैन
नि0 कटरा बाजार, सागर

—— आवेदकगण

विरूध्द

दिलीपसिंह ठाकुर तनय हीरालाल ठाकुर
नि0 ग्राम रजाखेड़ी, तहसील व
लि सागर

—— अनावेदक

श्री बृजेन्द्र धाकड़, अभिभाषक – आवेदकगण
श्री प्रदीप श्रीवास्तव., अभिभाषक– अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक 14.7. 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत तहसीलदार,

सागर के प्रकरण कमांक 2833/बी–121/11–12 में पारित आदेश दिनांक 25–09–2012 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक ने इस आशय का आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया कि मिश्रीचन्द गुप्ता एवं उनके परिवार के सदस्यों व्दारा शासकीय भूमि पर जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य कर रहे हैं। तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबध्द कर पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर अपने आदेश दिनांक 25–9–12 व्दारा निर्माण कार्य पर स्थगन जारी किया और प्रकरण 5–10–12 को नियत किया तथा पुनश्च कर यह अंकित किया कि रमेशचन्द्र जैन सुधीर जैन ने केबियट आवेदन प्रस्तुत किया जो आदेश जारी होने के बाद प्राप्त हुआ है। अतः आवेदनपत्र पर नियत तिथि को सुनवायी होगी। इस आदेश के विरूध्द आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की है।

3/ मैंने उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ तहसील न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदकगण के विव्दान अभिभाषक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा आवेदक रमेशचन्द्र जैन एवं सुधीर कुमार जैन को वर्ष 1987 में नगर सुधार न्यास सागर ने रजाखेड़ी आवासीय योजना के तहत प्रदान किया और तभी से उनका इस पर आधिपत्य है। अनावेदक का कोल्ड स्टोर आवेदकों के भूमि के दूसरी तरफ है। अनावेदक व्दारा असत्य आवेदनपत्र प्रस्तुत कर पटवारी एवं तहसील से मिलकर स्थगन आदेश प्राप्त किया है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक के अभिभाषक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय भूमि है और उस पर आवेदकगण व्दारा जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। पटवारी रिपोर्ट एवं खसरा पंचसाला से प्रश्नाधीन भूमि शासकीय

होना सिध्द है। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में म0प्र0शासन आवश्यक पक्षकार है, किन्तु निगरानी में उसे पक्षकार नहीं बनाया गया, इस कारण निगरानी सुनवायी योग्य नहीं है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ इसके जबाव में आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि राजस्व मण्डल ने पूर्व में निगरानी ग्राह्य कर आवेदकगण के पक्ष में स्थगन आदेश जारी किया है, इसलिये अनावेदक की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है।

6/ तहसीलदार के अभिलेख एवं आदेश पत्रिका से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त करने के बाद अपने आदेश दिनांक 25–9–12 व्दारा निर्माण कार्य पर स्थगन जारी किया है तथा आवेदक रमेशचन्द्र जैन सुधीर जैन ने आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदनपत्र स्थगन आदेश जारी होने के बाद प्राप्त होने से उस पर सुनवायी नियत तिथि को किया जाना निर्धारित किया है। प्रकरण में तहसीलदार व्दारा सुनवायी हेतु आगामी तिथि 5–10–12 नियत की गयी थी। यदि आवेदकगण स्थगन पर शीघ्र सुनवायी चाहता था तो आवेदनपत्र प्रस्तुत कर तहसीलदार से अनुरोध कर सकता था, किन्तु ऐसा नहीं करते हुए उसके व्दारा निगरानी प्रस्तुत की गयी है। आवेदकगण को प्रश्नाधीन भूमि का विधिवत पट्टा प्राप्त हुआ है और उसके व्दारा पट्टे की भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है तो वह अपना पक्ष तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है जिसका उसे पूर्ण अवसर प्राप्त है। ऐसी दशा में निगरानी में हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदन खारिज किया जाता हैं। तहसीलदार का आदेश दिनांक 25–9–12 यथावत रखा जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0